न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 44 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

इन्द्राराम पुत्र नैनाराम वगै. बनाम केसा पुत्र तुलछा वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम वास्ते निर्णय

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 14.12.2021

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर अपीलांटगण के वकील द्वारा आपति पेश की गई। उस दिन अंतिम निर्णय व डिक्री जारी नहीं की गई। केवल मात्र वकील वादी की अंतिम बहस सुनी जाकर उसी दिन अपीलांट की गैर हाजरी में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। वर्तमान में जब उतरदाता संख्या 01 के द्वारा अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने व जबरन तारबन्दी करने लगा तब अपीलांटगण द्वारा मना करने पर नहीं माना। तथा कथन किया गया कि उक्त भूमि उसके न्यायालय की डिक्री से मिली है। जिस पर अपीलांटगण द्वारा वकील नियुक्त कर जानकारी प्राप्त की तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की दिनांक 14.08.2020 को नकले मांगी गई जो नकले तैयार होकर दिनांक 17.8.2020 को प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2014(1) Page 258
RRT 2012(1) Page 137
RRT 2004(1) Page 374
RRD 1998 Page 319
RRT 2002(1) Page 648

RRT 2002(1) Page 53
RRT 2011(2) Page 1350
RRT 2017(2) Page 1104
अपील / डिक्री / टीए / 2818 व 2819 / 2019 / पाली
अपील / डिक्री / टीए / 2016 / 4893 व 4895 / श्रीगंगानगर
अपील / डिक्री / टीए / 1560 व 1651 / 2021 / पाली

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का जबाव पेश करते हुए उसमें अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वहस में वताया कि अपीलांटगण ने हस्तगत अपील स्थापित कानूनी प्रक्रिया अपनाये विना निर्णय व तथ्यों का सही विश्लेषण नहीं कर तथ्यों को छुपाते हुए अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन विधि विरूद्ध पेश किया है क्योंकि प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतो के खिलाफ 7 वर्ष बाद बिना कारणों का स्पष्टीकरण नहीं करते हुए अपील पेश की गई। अपीलांट के वकील ने विभाजन प्रस्ताव पर आपति अवश्य पेश की थी उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने आपति पर बहस सुनकर उसी दिन विधि व न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत विभाजन प्रस्ताव आने से अपीलांटगण ने बहस में सहयोग नहीं किया और रेस्पोडेंट के वकील ने बहस सुनकर दिनांक 15.01.2013 को विधि व न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्तिम डिक्री जारी की उसका भली भांति अपीलांटगण मय वकील को अन्तिम डिक्री का ज्ञान होते हुए भी तथ्यों को तोड़मरोड़कर अपील को ज्ञान की तिथि से अन्दरम्याद लाने का प्रयास किया जो वाद कि बहुलता बढाने के लिए व रेस्पोडेंट को अपने हक–हकुको से महरूम रखने के लिए अपील पेश की गई। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2019 (SC) Page 1067
DNJ (Raj.)2020(3) Page 697
RRT 2018(1) Page 188
RRD 2017 Page 679
RRD 2017 Page 395

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतिम डिक्री दिनांक 15.01.2013 अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 08 वर्ष 07 माह बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट की अपीलों को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर